न्यायालय– सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), रानी जिला– पाली

पिठासीन अधिकारी– अदिती पुरोहित (R.A.S.)
राजस्व मूल वाद संख्या– 246/2013
पूर्व वाद संख्या– 44/2013
तारीख निर्णय– / /2019

वादीगण–

1– तारू पुत्र वनाजी, उम्र– वयस्क, जाति– जणवा चौधरी, निवासी– नीपल,
2– रम्बादेवी धर्म पत्नि देवाराम उम्र– वयस्क, जाति– जणवा चौधरी, निवासी– नीपल, तहसील– रानी, जिला– पाली (राज0)

–: विरूद्ध :–

प्रतिवादीगण–

1– बुद्धाराम पुत्र उदाराम,
2– मगनीदेवी धर्म पत्नि उदाराम,
3– मानाराम पुत्र कसाजी,
4– सुजाराम पुत्र कसाजी,
5– खरताराम पुत्र कसाजी,
6– हंसाराम पुत्र कसाजी,
7– कानाराम पुत्र भुराराम,
8– वजाराम पुत्र भुराराम,
9– शिवलाल पुत्र भुराराम,
10– कन्या धर्म पत्नि भुराराम, तमाम उम्र वयस्क, निवासीगण– नीपल, तहसील– रानी, जिला– पाली (राज0)
11– तहसीलदार, देसूरी वर्तमान मे तहसीलदार, सादडी लैण्ड होल्डर।

–: वाद अन्तर्गत धारा– 53, 88, 89, 92अ, 188 राज0काश्त0 अधिनियम :–

उपस्थिति–

1– श्री राजेन्द्र गौतम अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2– श्री दिनेश माली अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

–: निर्णय :– दिनांक–17/7/2019
(अंतिम–डिक्री)

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि– वादीगण द्वारा यह वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नीपल, तहसील–देसूरी (वर्तमान तहसील–रानी), जिला– पाली मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण की निम्न खसरा नम्बरान की आराजी स्थित है, जिसके खाता सं.– 170 व 171 है।

खाता संख्या 170 की आराजी निम्न है–

ख.नं.	रकबा	पुराने ख.नं.	रकबा बीघा
277	0.0100 हैक्टर	77	54/3
278	0.0300 हैक्टर	77 मी	–
279	2.9600 हैक्टर	77 मी	–
282	5.7100 हैक्टर	77 मी	–

——क्रमशः पेज– 2 पर.......

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

कुल खसरा 4 कुल रकबा– 8.71 हैक्टर
खाता सं. 171 की आराजी निम्न है–

ख.नं.	रकबा	पुराने ख.नं.	रकबा बीघा
280	0.0100 बेरा	77/1	1
281	0.0400 सडा	77/1	–

कुल खसरा 2 कुल रकबा– 0.0500 हैक्टर

वादग्रस्त आराजी खाता सं.– 170 मे वादी सं.–1 का 5/24 वां हिस्सा व वादी सं.–2 का 5/24 वां हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 1 से लगाय– 10 का 1/4 + 1/3 7/12 वां हिस्सा निहत है व सहुलियत व सुविधा अनुसार वादी सं. –1 व 2 ख.नं.– 279 पर काश्त करते आ रहे है व प्रतिवादीगण ख.न. 282 की आराजी पर काश्त करते आ रहे है वादी सं. 1 व 2 ने काफी लागत लगाकर ख. न. 279 की आराजी मे कुऑ खुदवाया तथा इनका रहवासी घर भी उक्त कुऐ के पास सडे मे स्थित है जिस पर वादीगण निवास करते है। उक्त कुआ व रहवासी घर वादी के पिताजी के समय से स्थित है जो भारी लागत लगाकर कुँए को बंदवाया व बिजली का कनेक्शन लिया जिसके बिल वाद के साथ प्रस्तुत है इसी प्रकार प्रतिवादीगण 1 से लगाय– 10 ने भी सुविधा अनुसार अपने हिस्से की आराजी मे दो कुँए खुदवाये है जिन पर उनके विद्युत कनेक्शन है एवं कुँआ खता सं. 171 के कुए के पास है तथा अन्य कुआ थेडा दुर है खाता सं. 171 मे स्थित कुआ वादीगण व प्रतिवादीगण का शामलती है कुँए के पास सडा भी है जिसके ख.नं. 280 व 281 है इस कुँए व सडे मे वादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 1 से लगाय 10 का 1/4 + 1/2 3/4 हिस्सा दर्ज है उक्त कुँए व सडे के उपयोग व उपभोग के लिए वादीगण के आवागमन के लिए रास्ता था जिससे आवागमन वादीगण करते थे लेकिन अब प्रतिवादीगण ने उक्त रास्ते को बंद कर दिया है जिसे खुलवाने हेतु भी वाद प्रस्तुत है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड मके शामलाती दर्ज है वादीगण व प्रतिवादीगण सहुलियत अनुसार आराजी पर काश्त कर रहे है लेकिन वास्तव मे किसके पास कितनी आराजी है इसकी कोई जानकारी नही है मौखिक बंटवाडे अनुसार ख.न. 279 की आराजी की तरफ वादीगण का कब्जा काश्त है उक्त आराजी पर कुँआ व सडा ख.न. 277 , 278 स्थित है जो वादीगण के ही है उक्त आराजी के दक्षिण दिशा मे ख.न. 282 की आराजी व शामलाती कुँआ व सडा ख.नत्र. 280, 281 आये हुये स्थित है उक्त सडे व कुँए के उपयोग व उपभोग के लिए रास्ता नक्शे मे दर्शित बरंग लाल रंग से अंकित है जो उत्तर से दक्षिण पव दक्षिण से उत्तर की ओर था उक्त वाड के सहारे सहारे था जो पीढियो से था उक्त रास्ता वाड के सहारे करीब 20 फुट था नक्शे मे ख.न. 282 मे आवागमन के लिए रास्ता तरमीम किया हुआ है उक्त रास्ते से सटता रास्ता वादीगण के लिए ख.न. 280 व 281 के लिए था जो एक मात्र रास्ता था उक्त रास्ते से वादीगण बरंग जलाल रंग से दर्शित रास्ते से होकर आते जाते थे व शामलाती कुँए व सडे का उपयोग उपभोग करते थे उक्त रास्ता ही एक मात्र वादीगण की आराजी मे आवागमन का मुख्य रास्ता था जिससे प्रतिवादीगण ने ट्रेक्टर से खड कर आराजी व रास्ते को एकमेक कर

—क्रमशः पेज– 3 पर......

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

दिया रास्ते के सारे आलामात खत्म कर दिये जिससे वादीगण का आवागमन शामलाती कुँए व सडे मे बंद हो गया है तथा वादीगण के कब्ज काश्त की भूमि का उपयोग उपभोग करना मुश्किल हो गया रास्ता नक्शे मे बरंग लाल रंग मकार्क " एम एन " बताया है उक्त रास्ता खोलना वादीगण के लिए अति आवश्यक है नक्श वाद के साथ सलंग्न है जो वाद का अभिन्न अंग है। वादग्रस्त आराजी मौके पर बंटी हुई नही है जिसका विधिक रूप से बाई मिन्ट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा करना आवश्यक है। वादीगण के पास मौके पर कम जमीन है जबकि हिस्से अनुसार अधिक जमीन बंट मे आती आदि अभिवाक् कर वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि 1– वादग्रस्त आराजी खाता सं. 170, 171 का बाइ ' मिन्ट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा माफिक कब्जे अनुसार वादी सं. 1 का 5/24 हिस्सा, वादीनी सं. 2 का 5/24 वां हिस्सा व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का माफिक खतौनी बंटवाडा किया जावे व राजस्व लगान अलग अलग कायम की जाकर प्राथमिक डिक्री पारित फरमाई जावे व माफिक प्राथमिक डिक्री कब्जे अनुसार बंटवाडा रिर्पोट अनुसार फाईनल डिक्री प्रदान करावे 2– ख.नं. 277 रकबा– 0.0100 हैक्टर 278 रकबा– 0.0300 हैक्टर मे से प्रतिवादीगण 1 से लगाय 10 का नाम हटाया जाकर वादीगण का बराबर बराबर हिस्सा डिकलेयर किया जावे व रास्ता मार्क " एम एन " जिसका अंकन राजस्व रेकर्ड मे नही है अंकन किया जावे व रास्ता खसरा नं. 280 व सडा 281 जिसमे वादी सं. 1 का हिस्सा दर्ज है जिसके उपयोग उपभोग के लिए रास्ता जो नक्शे मे बरंग लाल रंग से दर्शित है खुला करवाकर आवागमन हेतु 20 फुट रास्ता डिकलेयर किया जावे व उक्त रास्ते व ख.न. 280, 281 के कुँए व सडे के हिस्से मे व वादीगण के कब्जा सुदा हिस्से मे व ख.नं. 277, 278 कुँए व सडे मे प्रतिवादीगण किसी तरह की दखलन्दाजी नही करे न किसी से करावे इस अमर की भी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ती प्रदान करावे बंटवाडा व रास्ते का इन्द्राज रेकर्ड मे होने पर व आराजीयात का बाई मिन्ट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा होने पर भविष्य मे कोई पक्षकार वादीगण के कब्जे काश्त व रास्ते मे किसी तरह की दखलन्दाजी नही करे इस बाबत भी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ती प्रदान करावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जो रिकार्ड पर लिया गया। जिस अनुरूप काउन्टर क्लेम की डिक्री सादिर करने का अनुतोष चाहा गया। एवं पत्रावली ए/डी तनकियात मे चल रही है।

इस दौरान वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रार्थना–पत्र के सलंग्न राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है एवं न्यायालय मे राजीनामा इस प्रकार प्रस्तुत किया कि– वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से अपनी वादग्रस्त सह खातेदारी आराजी गांव नीपल के खसरा संख्या– 277 से 282 कुल खसरा–5 कुल रकबा– 8.76 हैक्टर देय लगान 222.60 का विभाजन कर दिया है, जिससे वाद का निस्तारण जरिये राजीनामा डिक्री निम्नानुसार कराना चाहते है–

वादीगण के बंट और हिस्सा की आराजी का विवरण–,

——क्रमशः पेज– 4 पर.......

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म
277	0.0100 हैक्टर	गै.मु.बेरा
278	0.0300 हैक्टर	गै.मु.सडा
279	2.860 हैक्टर	जाव अव्वल चाही प्रथम
03	2.9000 हैक्टर	

प्रतिवादीगण के बंट और हिस्सा की आराजी का विवरण–

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म
280	0.0100 हैक्टर	गै.मु.बेरा
281	0.0400 हैक्टर	गै.मु.सडा
282	5.6875 हैक्टर	जाव अव्वल चाही प्रथम
279/1	0.1000 हैक्टर	जाव अव्वल चाही प्रथम
4	5.8375 हैक्टर	

वादीगण के 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 2/3 हिस्सा के संयुक्त हिस्सा की रास्ता प्रयोजनार्थ आराजी खसरा नम्बर– 282/1 क्षेत्रफल– 0.0225 हैक्टर किस्म जराव अव्वल चाही प्रथम रास्ता आगे खसरा संख्या– 289 के रास्ते से होकर है।

उपरोक्तानुसार सलंग्न नक्शा मे वर्णित अनुसार वादीगण और प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से अपनी संयुक्त वादग्रस्त आराजी का विभाजन माफिक हिस्सा सहमति से करना तय कर लिया है, जिस अनुसार वादीगण और प्रतिवादीगण राजीनामा की डिक्री प्राप्त कर वादग्रस्त आराजी के भू अअध्किार अभिलेखे मे इन्द्राज कराना चाहते है। लगान पर देय स्टाम्प शुल्क रूपये– 100/– पेश है।

2– उपरोक्त राजीनामा अनुसार वादीगण और प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। जिसका लगान अलग अलग तय करने राजीनामा अनुसार नक्शे मे तरमीम करने, अलग अलग पास बुक जारी करने इत्यादि बाबत तहसीलदार रानी के विरूद्ध भी डिक्री जारी की जाकर पालना कराई जाना आवश्यक है।

3– कि पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से जलाक अदालत की भावना से आपसी सहमति से राजीनामा किया गया`। प्रतिवादी संख्या सात से नौ की ओर से उनकी माता कन्या प्रतिवादी संख्या दस राजीनामा पेश कर रही है।

अतः उपरोक्त विवरण एवं सलंग्न नक्शानुसार राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर माफिक राजीनामा वादग्रस्त आराजी का जरिये राजीनामा डिक्री प्रदान करावे एवं डिक्र की पालनार्थ माफिक बंट लगान अलग अलग कायक मरने, नक्शे मे तरमीम करने इत्यादी के तहसीलदार रानी को आदेश प्रदान करावे।

——क्रमशः पेज– 5 पर.......

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा न्यायालय मे प्रस्तुत किया है, जिससे राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा के जरिये अंतिम डिकी पारित किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है।

–: आदेश :–

अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर तसदीक किया गया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के जरिये राजीनामा एवं उसके साथ सलंग्न प्रस्तुत नक्शानुसार इस वाद मे निम्न प्रकार हस्ब धारा–53, 88, 89 राज0 काश्त0 अधि0 के तहत विभाजन एवं खातेदारी घोषणा की जाकर अंतिम निर्णय एवं डिकी सादिर की जाती है–

(1)– वादीगण– तारू पुत्र वनाजी, रम्बादेवी पत्नि देवाराम, जातिगण– जणवा चौधरी साकिन देह खातेदार–

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म
277	0.0100 हैक्टर	गै.मु.बेरा
278	0.0300 हैक्टर	गै.मु.सडा
279	2.8600 हैक्टर	जाव अव्वल चाही प्रथम

कुल खसरा–03 कुल क्षेत्रफल–2.9000 हैक्टर

(2)– प्रतिवादीगण– बुद्धाराम पुत्र उदाराम, मगनीदेवी धर्म पत्नि उदाराम, मानाराम पुत्र कसाजी, सुजाराम पुत्र कसाजी, खरताराम पुत्र कसाजी, हंसाराम पुत्र कसाजी, कानाराम पुत्र भुराराम, वजाराम पुत्र भुराराम, शिवलाल पुत्र भुराराम, कन्या धर्म पत्नि भुराराम, जातिगण– जणवा चौधरी, साकिन देह खातेदाररान–

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म
280	0.0100 हैक्टर	गै.मु.बेरा
281	0.0400 हैक्टर	गै.मु.सडा
282	5.6875 हैक्टर	जाव अव्वल चाही प्रथम
279/1	0.1000 हैक्टर	जाव अव्वल चाही प्रथम

कुल खसरा– 4 कुल क्षेत्रफल–5.8375 हैक्टर

(3)– तारू पुत्र वनाजी, रम्बादेवी पत्नि देवाराम 1/3 हिस्सा, बुद्धाराम पुत्र उदाराम, मगनीदेवी धर्म पत्नि उदाराम, मानाराम पुत्र कसाजी, सुजाराम पुत्र कसाजी, खरताराम पुत्र कसाजी, हंसाराम पुत्र कसाजी, कानाराम पुत्र भुराराम,

——क्रमशः पेज–6 पर.......

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

वजाराम पुत्र भुराराम, शिवलाल पुत्र भुराराम, कन्या धर्म पत्नि भुराराम 2/3 हिस्सा, जातिगण– जणवा चौधरी, सा0 देह खातेदार–

खसरा सं0	क्षेत्रफल	किस्म
282/1	0.0225 हैक्टर	जाव अव्वल चाही प्रथम(रास्ता)
1	0.0225 हैक्टर	

उपरोक्तानुसार राजीनामा के जरिये निर्णय एवं डिक्री पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं इसके सलंग्न प्रस्तुत नक्शा अुनसार सादिर की जाती है। राजीनामा एवं उसके सलंग्न नक्शा इस निर्णय एवं डिक्री का भाग है। भूमिधारी तहसीलदार, रानी माफिक निर्णय एवं डिक्री के राजीनामा एवं उसके सलंग्न नक्शा प्रति अनुसार राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी मे अमलदरामद करे एवं नक्शा मे तरमीमात करे एवं लगान तय करे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार, रानी को निर्णय डिक्री प्रति व राजीनामा मय उसके सलंग्न नक्शा प्रतियां के तहरीर जारी हो। तदनुरूप अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.)
सहायक कलेक्टर (एस0डी0ओ0), रानी

निर्णय आज दिनांक–19/07/2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस0डी0ओ0), रानी
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

मूल वाद मे अंतिम डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय– सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), रानी जिला– पाली

पिठासीन अधिकारी– अदिती पुरोहित (R.A.S.)
राजस्व मूल वाद संख्या– 246/2013
पूर्व वाद संख्या– 44/2013
तारीख डिकी– / /2019

वादीगण–

1– तारू पुत्र वनाजी, उम्र– वयस्क, जाति– जणवा चौधरी, निवासी– नीपल,
2– रम्बादेवी धर्म पत्नि देवाराम उम्र– वयस्क, जाति– जणवा चौधरी, निवासी– नीपल, तहसील– रानी, जिला– पाली (राज0)

–: विरूद्ध :–

प्रतिवादीगण–

1– बुद्धाराम पुत्र उदाराम,
2– मगनीदेवी धर्म पत्नि उदाराम,
3– मानाराम पुत्र कसाजी,
4– सुजाराम पुत्र कसाजी,
5– खरताराम पुत्र कसाजी,
6– हंसाराम पुत्र कसाजी,
7– कानाराम पुत्र भुराराम,
8– वजाराम पुत्र भुराराम,
9– शिवलाल पुत्र भुराराम,
10– कन्या धर्म पत्नि भुराराम, तमाम उम्र वयस्क, निवासीगण– नीपल, तहसील– रानी, जिला– पाली (राज0)
11– तहसीलदार, देसूरी वर्तमान मे तहसीलदार, सादडी लैण्ड होल्डर।

–: वाद अन्तर्गत धारा– 53, 88, 89, 92अ, 188 राज0काश्त0 अधिनियम :–

मुकदमा नम्बर– राजस्व मूल वाद संख्या– 246/2013
पूर्व वाद संख्या– 44/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफिसाल कत्ताई रूबरू हमारे वकील श्री राजेन्द्र गौतम मिनजानिब मुद्धईयान व वकील श्री दिनेश माली मिनजानिब मुद्धायलाहीम पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिगरी दी जाती है कि–

अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर तसदीक किया गया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के जरिये राजीनामा एवं उसके साथ सलंग्न प्रस्तुत नक्शानुसार इस वाद मे निम्न प्रकार हस्ब धारा– 53, 88, 89 राज0 काश्त0 अधि0 के तहत विभाजन एवं खातेदारी घोषणा की जाकर अंतिम निर्णय एवं डिकी सादिर की जाती है–

(1)– वादीगण– तारू पुत्र वनाजी, रम्बादेवी पत्नि देवाराम, जातिगण– जणवा चौधरी साकिन नीपल देह खातेदार–

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म
277	0.0100 हैक्टर	गै.मु.बेरा
278	0.0300 हैक्टर	गै.मु.सडा
279	2.8600 हैक्टर	जाव अव्वल चाही प्रथम

कुल खसरा–03 कुल क्षेत्रफल–2.9000 हैक्टर

——क्रमशः पेज– 2 पर......

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

(2)– प्रतिवादीगण– बुद्धाराम पुत्र उदाराम, मगनीदेवी धर्म पत्नि उदाराम, मानाराम पुत्र कसाजी, सुजाराम पुत्र कसाजी, खरताराम पुत्र कसाजी, हंसाराम पुत्र कसाजी, कानाराम पुत्र भुराराम, वजाराम पुत्र भुराराम, शिवलाल पुत्र भुराराम, कन्या धर्म पत्नि भुराराम, जातिगण– जणवा चौधरी, सा0 देह खातेदार–

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म
280	0.0100 हैक्टर	गै.मु.वेरा
281	0.0400 हैक्टर	गै.मु.सडा
282	5.6875 हैक्टर	जाव अव्वल चाही प्रथम
279/1	0.1000 हैक्टर	जाव अव्वल चाही प्रथम

कुल खसरा– 4 कुल क्षेत्रफल–5.8375 हैक्टर

(3)– तारू पुत्र वनाजी, रम्बादेवी पत्नि देवाराम 1/3 हिस्सा, बुद्धाराम पुत्र उदाराम, मगनीदेवी धर्म पत्नि उदाराम, मानाराम पुत्र कसाजी, सुजाराम पुत्र कसाजी, खरताराम पुत्र कसाजी, हंसाराम पुत्र कसाजी, कानाराम पुत्र भुराराम, वजाराम पुत्र भुराराम, शिवलाल पुत्र भुराराम, कन्या धर्म पत्नि भुराराम 2/3 हिस्सा, जातिगण– जणवा चौधरी, सा0 देह खातेदार–

खसरा सं0	क्षेत्रफल	किस्म
282/1	0.0225 हैक्टर	जाव अव्वल चाही प्रथम(रास्ता)
1	0.0225 हैक्टर	

उपरोक्तानुसार राजीनामा के जरिये अंतिम डिकी पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं इसके सलंग्न प्रस्तुत नक्शा अुनसार सादिर की जाती है। राजीनामा एवं उसके सलंग्न नक्शा इस डिकी का भाग है। भूमिधारी तहसीलदार, रानी माफिक निर्णय एवं डिकी के राजीनामा एवं उसके सलंग्न नक्शा प्रति अनुसार राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी मे अमलदरामद करे एवं नक्शा मे तरमीमात करे एवं लगान तय करे। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

बरोज ++ मुबलिक ++ बाबत ++ मुकदमे मय सूद वच शहर ++ फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....++ ......
..को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख– माह सन् 2019

मोहर

दस्तखत
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी
ओहदा.................

मुद्दई	रूपयां पैसा	मुद्दायलास	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजान		मिजान	

नोट– इस खर्चे के फाम पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।

Scanned by CamScanner